उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी– 07 / ऋण–लक्ष्य / 2023–24 दिनांक– 20-04-2023

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र सं0 सी–02 / ऋण–लक्ष्य / 2023–24 दिनांक 03.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के मण्डल ऋण वितरण लक्ष्य विस्तृत दिशा–निर्देशों के साथ निर्गत किये गये है। उक्त परिपत्र के प्रस्तर सं0 02 में शाखाओं को ऋण वितरण हेतु प्रधान कार्यालय से धनराशि प्रेषित करने के सन्दर्भ में उल्लिखित है कि ''शाखाओं द्वारा नवीन वितरित ऋणों (मार्च, 2021 से वितरित) देय किश्तों की नकद वसूली 90 प्रतिशत से कम की गयी है तो इन शाखाओं को प्रधान कार्यालय से ऋण वितरण हेतु शाखा द्वारा दिनांक–01.04.2023 से की गयी नकद वसूली के समतुल्य धनराशि प्रेषित की जायेगी''।

बैंक मुख्यालय पर दिनांक 13.04.23 को समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धको एवं योजनाधिकारियों के साथ बैंक के व्यवसायिक किया–कलापों की विस्तृत समीक्षा बैंठक में शाखाओं के ऋण वितरण कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने एवं शाखाओं के व्यवसायिक हितो को दृष्टिगत रखते हुए परिपत्र सं0 सी–02 दिनांक 03.04.23 के प्रस्तर सं0 02 में संशोधन करने हेतु अनुरोध किया गया। समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा किये गये अनुरोध के कम में परिपत्र सं0 सी–02 दिनांक 03.04.23 के प्रस्तर सं0 02 में निम्नवत् संशोधन किया जाता हैः–

2.0. **जिन शाखाओं में नवीन वितरित ऋणों (मार्च 21 से वितरित) के ऋण खाते गत माह के अन्तिम दिवस के स्टेटस के आधार पर 80 प्रतिशत या उससे अधिक खाते नियमित चल रहे है, उन शाखाओं को धनमॉग के बराबर धनराशि प्रेषित की जायेगी।**

2.1. **ऐसी शाखाएं जिनमें नवीन वितरित ऋणों (मार्च 21 से वितरित) के ऋण खाते गत माह के अन्तिम दिवस के स्टेटस के आधार पर 80 प्रतिशत से कम नियमित चल रहे है, इन शाखाओं द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में हुई नकद वसूली के समतुल्य धनराशि ऋण वितरण हेतु प्रेषित की जायेगी।**

2.2. **बिन्दु 2.1 से आच्छादित शाखाएं यदि आगामी माह में नवीन वितरित ऋण खातो को 80 प्रतिशत या उससे अधिक नियमित कर लेती है, तो सम्बन्धित शाखा धनमॉग के अनुसार ऋण वितरण हेतु धनराशि प्राप्त करने के लिए पात्र हो जायेगी।**

बैंक पोर्टल पर धनमॉग करते समय उक्त बिन्दु सं0 2.0 से 2.2 का अनुपालन कराते हुए शाखाओं द्वारा नवीन वितरित ऋण (मार्च 21 से वितरित) के ऋण खाते गत माह के अन्तिम दिवस के स्टेटस के आधार पर 80 प्रतिशत नियमित चल रहे है अथवा नही की स्थिति में Yes या No का अंकन करते हुए धनमॉग करायी जाए तथा परीक्षणोपरान्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा स्व विवेक से अनुमोदन किया जाए।

क्रमशः–2

अतः परिपत्र सं0 सी–02/ऋण–लक्ष्य/2023–24 दिनांक 03.04.23 में दिये गये निर्देशानुसार संशोधित समझा जाए तथा शेष निर्देश यथावत् रहेगे।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

20.4.23

(आर0के0कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक(आई0टी0 सेल) उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ की बैंक की बेव–साइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
4. प्राचार्य, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
5. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त शाखा प्रतिनिधि, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0,उ0प्र0 द्वारा सम्बन्धित शाखा प्रबंधक।
10. सभापति महोदय, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को अवलोकनार्थ।
11. आयुक्त एवं निबंधक महोदय, सहकारिता, उत्तर प्रदेश को अवलोकनार्थ।

20.4.23

प्रबन्ध निदेशक